डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/684/24 दिनांक:–04.11.2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

1. राजकीय महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा 2. बी0डी0एम0 कन्या महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा 3. श्री जंगजीत सिंह महाविद्यालय, वाजिदपुर, फतेहाबाद, आगरा 4. श्री राजेन्द्र सिंह महाविद्यालय, धिमिश्री, आगरा 5. श्री देवी सिंह महाविद्यालय, मझारा, आगरा 6. श्री राम चरन सिंह महाविद्यालय, जारोली शमसाबाद, आगरा 7. श्रीमती लक्ष्मी देवी महाविद्यालय, शमसाबाद, आगरा 8. एन0डी0 महाविद्यालय, शमसाबाद, आगरा 9. पं. जगन्नाथ प्रसाद महाविद्यालय, डबरई, शमसाबाद, आगरा 10. एस0एस0 महाविद्यालय, शमसाबाद, आगरा 11. श्री बांके बिहारी महाविद्यालय, गढ़ी थाना शमसाबाद, आगरा 12. बी0बी0एम0 महाविद्यालय, पलिया, आगरा।

विषयः–विधान सभा निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रभावी रणनीति के तहत माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 93–फतेहाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद–आगरा) के पत्रांक 501/वीआरसी 96–फतेहाबाद दिनांक 19 अक्टूबर, 2024 जो कि अंकित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त से अवगत होते हुये उपजिलाधिकारी/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 93–फतेहाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा जारी पत्र में अंकित बिन्दु एवं उसके साथ संलग्नकों का नियमानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय

राजेश कुमार
आई.ए.एस
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 93 फतेहाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद–आगरा)
2. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. **प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।**
4. गार्ड फाइल

राजेश कुमार
आई.ए.एस
कुलसचिव

Affisvlett

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

93—फतेहाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र(जनपद—आगरा)

ई—मेल — vrc093fatehabad@gmail.com

पत्रांक 501/वीआरसी 93— फतेहाबाद | दिनांक :— 19/अक्टूबर/2024

D.B.R.A.U.: R.O.
आ० सं० R-1038 दि० 22-10-24
जा० सं० 85 दि० 26/10/24

ORIAffiliations
K 26/10/24
Registrar
कुलसचिव

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
1— राजकीय महाविद्यालय फ़तेहाबाद
2— बी0डी0एम0 कन्या महाविद्यालय फतेहाबाद
3— श्री जंगजीत सिंह महाविद्यालय वाजिदपुर फतेहाबाद
4— श्री राजेन्द्र सिंह महाविद्यालय धिमिश्री
5— श्री देवी सिंह महाविद्यालय मझारा
6— श्री रामचरन सिंह महाविद्यालय जारौली शमसाबाद
7— श्रीमती लक्ष्मी देवी महाविद्यालय शमसाबाद
8— एन0डी0 महाविद्यालय शमसाबाद
9— पं0 जगन्नाथ प्रसाद महाविद्यालय डबरई शमसाबाद
10— एस0एस0 महाविद्यायल शमसाबाद
11— श्री बांके बिहारी महाविद्यालय गढी थाना शमसाबाद
12— बी0बी0एम0 महाविद्यालय पलिया

विषयः— विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण—2024 नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रभावी रणनीति के तहत माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक के संबंध में संलग्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 953/सी0ई0ओ0—4—15/4—2024 (टी0सी0) लखनऊ 10 दिनांक 2024 एवं कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 7809/29—5 (व0सहा0—1)/2023 दिनांक 15 अक्टूबर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्न निर्देश दिये गये हैं:—

1. समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्टेशन हेतु **कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क** की स्थापना करा दी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा कराते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए प्रारूप—6, 7 व 8 भरने के लिए एक तिथि व समय निर्धारित किया जाय।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) का विशेष सहयोग लिया जाये व शैक्षणिक संस्था में एन0एस0एस0 कोआर्डिनेटर होने की दशा में उन्हीं को पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाय व इनके नाम व फोन नम्बर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 93—फतेहाबाद को भेजना सुनिश्चित करें। ताकि किसी भी कठिनाई की स्थिति में इनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
3. समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में एक कक्ष को वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष के रूप में स्थापित किया जाय जिसमें कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों जैसे **कम्प्यूटर यूपीएस एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी** इत्यादि का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
4. कॉलेज में अध्ययनरत समस्त छात्र—छात्राओ से प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा 01.01. 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है। यह सूचना निम्न प्रारूप पर संकलित करनी है।

प्रमाणपत्र

A.			
क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC (मतदाता फोटो पचाहन पत्र) सं0/आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के संबंध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

परिवार के मुखिया का नामः– हस्ताक्षर
पताः–
मोबाइल नम्बर..................................

अतः आप उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी फतेहाबाद/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
93–फतेहाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय आगरा को सादर सूचनार्थ।
3. कुल सचिव डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्व विद्यालय आगरा को इस आशय के साथ कि आप अपने स्तर से उक्त सभी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा को इस आशय के साथ कि आप अपने स्तर से उक्त सभी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी फतेहाबाद/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
93–फतेहाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

महत्वपूर्ण/ई–मेल/स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–953/सी0ई0ओ0–4–15/4–2024 (टी0सी0) लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2025–नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।**

महोदया/महोदय,

अवगत हैं कि आयोग के निदेशानुसार अर्हता तिथि 01–01–2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29–10–2024 को किया जाना है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28–11–2024 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक **'कोआर्डिनेटर'** एवं **'हेल्पडेस्क'** की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जायेगा ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
2. संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।
4. प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष'** के रूप में स्थापित किया जायेगा। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
5. अवगत हैं कि युवा मतदाता, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहज रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) तथा वोटर सर्विस पोर्टल (Voter service portal) को बढ़ावा (promote) दिया जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके।
6. कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा अर्हता तिथि 01.01.2025 को 18 वर्ष

की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है:—

A.

क0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC(मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0/आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नामः
पताः
मोबाइल नं0....................

7. दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है, अतः दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया जिला मुख्यालय के किसी बड़े कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित करके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करेगें। इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर पर, उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा आयोजित किये जायेंगें और रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारम्भ कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु भेजा जायेगा।

8. जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके फार्म–6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हेतु फार्म–8 का उपयोग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकल्पित है कि 24 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह व्यक्तियों का नाम देश अथवा प्रदेश की किसी न किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होने की प्रबल सम्भावना है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए।

9. समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।

10. मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों/एसोशियेसन यथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार कराया जाय।

11. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनसे समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल एजेंट की तैनाती किए जाने का अनुरोध कर लिया जाय।

12. समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जायें।
13. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक है, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग–अलग तिथियां निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित कराकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन करायें। इन कार्यक्रमों का स्वीप योजनान्तर्गत फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टीवी चैनलों एवं स्थानीय समाचार पत्रों/संस्करणों में इससे संबंधित कवरेज कराया जाय।
14. दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को कार्यक्रम के शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया/फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्वीप अनुभाग, अनुभाग–6 के ई–मेल आईडी **ceoupsection6@gmail.com** पर भेजी जायेगी।
15. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।
16. दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किये जायेंगें ताकि जन सामान्य भी उन्हें देख सकें।
17. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ इसे भी जोड़ने का कष्ट करें और यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाय।
18. इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28.11.2024 तक है अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अनुरोध है कि सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने सम्बन्धी कार्यवाहियां दिनांक 28.11.2024 तक कर लें, ताकि सभी नये मतदाताओं को ससमय मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

A.D.EO

Dy.DEO

संख्या:953(1)/सी0ई0ओ0–4–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(सुनीता सिंह)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

EROs/AEROs/

ADEO

e:\rakesh\backup_4\drive e\summery revision_2025\circular.doc

अति महत्वपूर्ण/संक्षिप्त पुनरीक्षण–2025

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा ।

संख्या– 7809/29–5 (व0सहा0–1)/2023 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

1– **समस्त उप जिलाधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)**
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी)

2– **समस्त तहसीलदार,**
(सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी)

3– **क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।**

4– **जिला विधालय निरीक्षक, आगरा।**

5– **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।**

विषय– **विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024–नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रभावी रणनीति।**

उपरोक्त विषयय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–953/सीईओ–4 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अर्हता तिथि 01–01–2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29–10–2023 को किया जाना है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28–11–2024 तक है। इस अवधि में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस पुनरीक्षण अवधि में युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जायें।

2– इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक सख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निम्न बिन्दुओं के अनुरूप आपको कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है :–

1– समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजि स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानो में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु **कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क** की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी धोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिए फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाए ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढ़ग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैं।

2– संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहें ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह सम्बन्धित से सम्पर्क कर सके।

3– राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाए और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।

4– प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष'** के रूप में स्थापित किया जाए। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

5– अवगत है कि युवा मतदाता सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने में सहज रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वोटर सर्विस पोर्टल को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके।

6– कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाए कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है।

कमशः––––––––2पर

A.			
क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0/आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के संबंध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नामः–
पताः–
मोबाइल नं0............................

7– दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाना हैं, अतः दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला मुख्यालय के किसी बडे कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित कराते हुए एवं इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर पर, उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर, बीएलओ द्वारा आयोजित किये जाये और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ कराया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/सैक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम का प्रारम्भ करने हेतु भेजा जाये।

8– जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके फार्म–6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हेतु फार्म–8 का उपयोग कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकल्पित हैं कि 24 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह व्यक्तियों का नाम देश अथवा प्रदेश की किसी न किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होने की प्रबल सम्भावना हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये।

9– समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।

10– मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधियों/एसोशियेसन यथा व्यापार मण्डल, उधोग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार कराया जाए।

11– समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनसे समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेबिल ऐजेंट की तैनाती किये जाने का अनुरोध कर लिया जाय।

12– समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हे उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाय।

13– दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक हैं, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग–अलग तिथियां निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित कराकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेश करायें। इन कार्यक्रमों का स्वीप योजनान्तर्गत फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टी0वी0 चैनलों एवं स्थानीय समाचार–पत्रों/संस्करणों में इससे संबंधित कवरेज कराया जाय।

14– दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को कार्यक्रम का शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया/फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जायेगी।

15– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हैं।

16– दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के फेसबुक एकाउन्ट पर अपलोड किये जायेगें ताकि जनसामान्य भी उन्हे देख सकें।

क्रमश——3 पर

30.206/bhulekh/app/tehsil

17– जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ इसे भी जोडने का कष्ट करें और यह सुनिश्चित कराये कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाय।

18– इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28–11–2024 तक है अतः समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किये जाने संबंधी कार्यवाहियां दिनांक 28–11–2024 तक कर लें ताकि सभी नये मतदाताओं को ससमय मतदाता फोटो पहचान–पत्र उपलब्ध कराया जा सकें।

19– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम में शिथिलता न आने पाये।

अतः आपसे अपेक्षा हैं कि आप अपनी–अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित, उपरोक्तानुसार किसी एक डिग्री/इन्टर कालेज में उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी वीडियोग्रफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाये, जिसकी हार्डकापी एवं साफ्टकापी दो प्रतियों में इस कार्यालय को आयोजित मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन अवश्य उपलब्ध कराई जाये ताकि एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जा सकें तथा एक प्रति निर्वाचन कार्यालय के अभिलेखनार्थ सुरक्षित रखी जा सकें, कृपया आवश्यकतानुसार फार्मो की उपलब्धता जिला निर्वाचन कार्यालय से सुनिश्चित करा ली जाय।

कृपया इस कार्य को शीर्ष–प्राथमिकता प्रदान की जायें ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
आगरा।

सख्ंया व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–

1– आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– जिला सूचना अधिकारी, आगरा को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
आगरा।